दैनिक भास्कर बिलासपुर भास्कर 15-05-2026

सुनवाई • हाई कोर्ट ने लाखासार स्थित गोधाम की अव्यवस्था को लेकर दैनिक भास्कर में प्रकाशित खबर पर संज्ञान लेते हुए मांगा था जवाब, अब जुलाई में होगी सुनवाई

सरकार ने कहा- गोधाम में पर्याप्त व्यवस्था, हाई कोर्ट ने पूछा- तो मवेशी सड़कों पर क्यों?

लीगल रिपोर्टर | बिलासपुर

आवारा मवेशियों और गोधामों की बदहाली को लेकर चल रही जनहित याचिका पर राज्य सरकार ने शपथ पत्र पेश कर दावा किया कि गौशालाओं में चारे, पानी और रहने की पर्याप्त व्यवस्था है। लाखासार के गोधाम में एक छोटे कमरे में 205 मवेशियों को नहीं रखा गया था। इस पर चीफ जस्टिस रमेश सिन्हा और जस्टिस रविंद्र कुमार अग्रवाल की डिवीजन बेंच ने पूछा कि अगर सब व्यवस्था ठीक है तो सड़कों पर मवेशियों का जमावड़ा कम क्यों नहीं हो रहा है?

दैनिक भास्कर की गोधाम में मवेशियों को अव्यवस्था के बीच रखने को लेकर दैनिक भास्कर की खबर पर हाई कोर्ट ने संज्ञान लिया था। मामले में शपथ पत्र के साथ जवाब मांगा गया था। गुरुवार को राज्य सरकार की तरफ से बताया गया कि सरकार से जवाब तलब किया था। लाखासार स्थित सुरभि गोधाम 25 एकड़ में फैला है और वहां पशुओं के लिए 3 बड़े शेड और नेपियर घास की व्यवस्था है। चारे के लिए 5 एकड़ में नेपियर घास उगाई जा रही है। तीन बोरवेल चालू हालत में हैं। इसके अलावा बताया गया कि प्रदेश में 142 पंजीकृत गौशालाएं हैं, जिनमें 39 हजार मवेशी रखे गए हैं। हाई कोर्ट ने राज्य सरकार के जवाब के बाद भी मामले को बंद नहीं किया। कहा कि बार-बार यह संज्ञान में आ रहा है कि गोधाम बनने के बावजूद मवेशी सार्वजनिक सड़कों पर हैं, जो यह बताया है कि जिम्मेदार पक्षों द्वारा किए गए इंतजाम अभी भी नाकाफी हैं। मामले पर अब जुलाई 2026 में सुनवाई होगी।

रायपुर रोड नेशनल हाईवे पर कुछ दिन पहले मवेशियों का जमावड़ा देखने को मिला।

नोडल अफसरों को सौंपी जिम्मेदारी, मॉनिटरिंग होगी

सरकार ने बताया कि 7 नवंबर 2025 को एक आदेश जारी कर विशेष नोडल अधिकारियों की नियुक्ति की गई है। इन अधिकारियों का मुख्य काम जिला प्रशासन और पशुपालन विभाग के बीच समन्वय स्थापित करना है, ताकि छत्तीसगढ़ कृषक पशु परिरक्षण अधिनियम, 2004 के तहत जब्त और आवारा मवेशियों का सही प्रबंधन हो सके। वहीं, जिला प्रशासन को विभाग के साथ मिलकर यह सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए हैं कि गौधामों में रहने वाले मवेशियों को केवल छत ही नहीं, बल्कि अन्य बुनियादी सुविधाएं भी मिलें। जवाबदेही बनाए रखने के लिए अब हर महीने पशुपालन विभाग के संचालक को प्रोग्रेस रिपोर्ट भेजनी होगी।